रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102024-258294
CG-DL-E-28102024-258294

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4335] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 28, 2024/कार्तिक 6, 1946
No. 4335] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 28, 2024/KARTIKA 6, 1946

## भारी उद्योग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2024

**विषय: पीएम-ई-बस सेवा - इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम**

**का.आ. 4711(अ).—1. परिचय:** भारत सरकार ने भारत सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रायोजित स्कीमों के तहत इलेक्ट्रिक बसों (ई-बस) की खरीद और संचालन के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) निधि (जिसे आगे 'स्कीम निधि' कहा गया है) स्थापित करने के लिए पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र स्कीम (जिसे आगे 'स्कीम' कहा गया है) को मंजूरी प्रदान की है। इससे भुगतान में देरी का जोखिम कम होगा और सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण (पीटीए)[1] के साथ रियायत करार (सीए)[2] करने वाले मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम)/ऑपरेटरों की बैंकिंग क्षमता बढ़ेगी।

[1] **पीटीए** जैसे कि राज्य परिवहन उपक्रम (एसटीयू), राज्य परिवहन निगम (एसटीसी), विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी), और भारत में बस सेवा संचालित करने वाली अन्य सरकारी एजेंसियां।

[2] **सीए** इलेक्ट्रिक बसों की खरीद / तैनाती / संचालन / रखरखाव के लिए पीटीए और ओईएम / ऑपरेटरों के बीच निष्पादित करारों को संदर्भित करता है, चाहे उन्हें किसी भी नाम (जैसे कि करार, अनुबंध करार, आदि) से जाना जाए।

**उद्देश्य:**

i. पीटीए और ओईएम/ऑपरेटर के बीच निष्पादित रियायत करार के अनुसार ऑपरेटरों को समय पर भुगतान करने में पीटीए द्वारा चूक के मामले में भुगतान सुरक्षा प्रदान करना।

ii. पीटीए द्वारा पुनर्भुगतान न किए जाने की स्थिति में मूल राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से स्कीम की निधियों की प्रतिपूर्ति के लिए तंत्र प्रदान करना। इससे स्कीम की निधि की स्थिरता सुनिश्चित होगी।

iii. ई-बस संचालन के लिए पीटीए द्वारा क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं और नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सहायता प्रदान करना।

**3. स्कीम की प्रमुख विशेषताएं:**

**3.1 कवरेज:**

इस स्कीम का लक्ष्य 38,000 या इससे अधिक ई-बसों को कवर करना है।

**3.2 लक्षित लाभार्थी:**

इस स्कीम के लाभार्थी ऐसे पीटीए और ओईएम/ऑपरेटर होंगे जो स्कीम के अंतर्गत ई-बसों का संचालन करेंगे।

**3.3 पात्रता के मानदंड :**

स्कीम में भाग लेने के लिए पीटीए, ओईएम/ऑपरेटरों के लिए पात्रता के मानदंड नीचे दिए गए हैं:

**3.3.1 पीटीए के लिए पात्रता के मानदंड:**

निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले पीटीए इस स्कीम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे:

क. ई-बसों की खरीद के लिए पीटीए सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल अपनाते हैं जो स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। हालाँकि, संचालन समिति द्वारा अनुमोदन के अधीन, किसी अन्य समान मॉडल के माध्यम से बसें खरीदने वाले पीटीए पर भी विचार किया जा सकता है, और

ख. उनके मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आरबीआई के साथ डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (डीडीएम) पंजीकृत करते हैं। डीडीएम के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्कीम के दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित स्कीम की निधि की प्रतिपूर्ति करने का दायित्व लेते हैं। 'स्कीम' के तहत प्रस्तुत डीडीएम ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सभी स्कीमों के लिए मान्य होगा, और

ग. पीटीए भारत सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की किसी भी स्कीम के तहत कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) द्वारा एकत्रीकरण के साथ ई-बसों की खरीद और संचालन करते हैं, जहां सीए स्कीम के दिशानिर्देशों का पालन करता है, या

घ. यदि पीटीए पीएसएम के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ई-बसों की खरीद सीधे (सीईएसएल के बिना) कर रहे हैं, तो स्कीम के तहत भागीदारी के उनके अनुरोध पर संचालन समिति (एससी) द्वारा विचार किया जा सकता है।

**3.3.2 ओईएम/ऑपरेटरों के लिए पात्रता के मानदंड:**

ऐसे ओईएम/ऑपरेटर स्कीम की निधि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, जो पैरा 3.3.1 में उल्लिखित पात्रता के मानदंडों को पूरा करने वाले पीटीए के साथ रियायत करार करते हैं।

**3.4 स्कीम की अवधि:**

इस स्कीम के तहत परिनियोजित प्रत्येक बस के लिए 12 वर्षों तक भुगतान सुरक्षा कवरेज प्रदान किया जाएगा।

**4. स्कीम का परिव्यय:**

स्कीम के तहत कुल वित्तीय परिव्यय 3,435.33 करोड़ रुपये होगा।

**5. कार्यान्वयन तंत्र:**

**5.1 ई-बस ओईएम/ऑपरेटर द्वारा स्कीम की निधि प्राप्त करने की प्रक्रिया:**

i. पीटीए रियायत करार में यथा निर्दिष्ट एस्क्रो खाता खोलेंगे और बनाए रखेंगे।

ii. ओईएम/ऑपरेटर रियायत करार में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार पीटीए को नियमित बिल/चालान प्रस्तुत करेंगे।

iii. पीटीए बिल/चालान को रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार प्रोसेस करेंगे।

iv. यदि एस्क्रो खाते में अपर्याप्त धनराशि के परिणामस्वरूप पीटीए द्वारा रियायत करार के अनुसार निर्धारित समय के भीतर भुगतान में देरी/गैर-भुगतान होता है, तो इस घटना को "पीटीए द्वारा चूक" कहा जाएगा।

v. पीटीए द्वारा ऐसी चूक की सूचना सीईएसएल को दी जाएगी और ओईएम/ऑपरेटर स्कीम के अंतर्गत भुगतान सुरक्षा तंत्र का आह्वान करने के लिए सीईएसएल को अनुरोध (पीएसएम अनुरोध) प्रस्तुत कर सकते हैं।

vi. सीईएसएल स्कीम की पूरी अवधि के लिए एक प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफॉर्म का विकास, संचालन और रखरखाव करेगा, जो ओईएम/ऑपरेटरों को स्कीम की निधि का आह्वान करने के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगा।

**5.2 स्कीम से ई-बस ओईएम/ऑपरेटरों को धन संवितरण की प्रक्रिया:**

i. मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत धन संवितरण की प्रक्रिया, मात्रा और समयसीमा का विवरण दिया जाएगा।

ii. सीईएसएल ओईएम/ऑपरेटरों के पीएसएम अनुरोध की समीक्षा, सत्यापन और अनुमोदन करेगा।

iii. यदि सीईएसएल को लगता है कि ओईएम/ऑपरेटरों का अनुरोध रियायत करार, स्कीम के दिशानिर्देशों और एसओपी के अनुरूप है, तो सीईएसएल स्कीम की निधि से स्वीकृत राशि को रियायत करार के तहत सृजित एस्क्रो खाते में संवितरित करेगा।

**5.3 पीटीए द्वारा चूक के मामले में पीटीए/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पीएसएम में पुनर्भुगतान करने का तंत्र**:

पीटीए/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्कीम की निधि में पुनर्भुगतान करने का तंत्र निम्नानुसार है:

**i. पीटीए से स्कीम में पुनर्भुगतान:**

क. पीटीए को स्कीम की निधि से ओईएम/ऑपरेटरों को संवितरित संपूर्ण राशि को विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) के साथ इसके संवितरण की तारीख से 90 दिन के भीतर चुकाना होता है।

ख. इस अवधि के दौरान, चुकाई जाने वाली राशि पर पीटीए पर विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) के रूप में ब्याज लगाया जाएगा।

ग. एलपीएस 1% प्रति वर्ष की दर से लगाया जाएगा, जो संवितरण की तारीख को प्रचलित एसबीआई के 3 साल के एमसीएलआर के अलावा सालाना संयोजित होगा।

घ. विलंब के दिनों की संख्या, जिसके लिए एलपीएस लागू होगा, ओईएम/ऑपरेटरों को स्कीम की निधि से संवितरण की तारीख से शुरू होकर पीटीए/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से भुगतान प्राप्त होने की तारीख तक होगी।

**ii. डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (डीडीएम) के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्कीम निधि की प्रतिपूर्ति:**

क. यदि पीटीए संवितरण की तारीख से 90 दिन के भीतर विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) के साथ स्कीम निधि से संवितरित पूरी राशि को चुकाने में विफल रहते हैं, तो भारी उद्योग मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक से डायरेक्ट डेबिट मैंडेट का आह्वान करने के लिए अनुरोध करेगा।

ख. भारतीय रिजर्व बैंक मैंडेट को निष्पादित करते समय खाते में स्पष्ट और पर्याप्त शेष की उपलब्धता के अध्यधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रयाासनों के खाते से डेबिट करके स्कीम निधि में धनराशि अंतरित करेगा। राज्य सरकार के खाते में स्पष्ट शेष राशि का अर्थ न्यूनतम शेष, विशेष आहरण सुविधा के तहत परिचालन सीमा, अर्थोपाय और साधन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के तहत प्राधिकृत सीमा को छोड़कर ऐसे खाते में धारित राशि से है।

ग. इसमें पैरा 5.3, (i), (ग) में उल्लिखित विलंब भुगतान अधिभार भी शामिल होगा।

घ. विलंब के दिनों की संख्या, जिसके लिए विलंब भुगतान अधिभार लागू होगा, मूल उपकरण विनिर्माताओं/ ऑपरेटरों को स्कीम निधियों के संवितरण की तारीख से शुरू होकर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के खाते को डेबिट करके स्कीम निधि में धनराशि अंतरित होने की तारीख तक होगी।

**6. संचालन समिति (एससी):**

स्कीम के प्रभावी संचालन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, एक संचालन समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है:

| क्र.सं. | पदनाम | पद |
|---|---|---|
| 1. | अपर/संयुक्त सचिव (ऑटो), भारी उद्योग मंत्रालय | अध्यक्ष |
| 2. | सलाहकार, नीति आयोग | सदस्य |
| 3. | अपर/संयुक्त सचिव, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय | सदस्य |
| 4. | अपर/संयुक्त सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय | सदस्य |
| 5. | अपर/संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय | सदस्य |
| 6. | ई-बस स्कीम कार्यान्वित करने वाले मंत्रालय के अपर/संयुक्त सचिव | सदस्य |
| 7. | प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईएसएल | संयोजक |

**नोट:** समिति आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकती है।

**7. कार्यान्वयन एजेंसी – सीईएसएल**:

कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) इस स्कीम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

## 8. स्कीम के दिशानिर्देश:

स्कीम के प्रभावी संचालन और सुचारू कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

[फा. सं. 12(49)/2023- एईआई(26141)]

डॉ. हनीफ़ क़ुरैशी, अपर सचिव

**MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th October, 2024

**SUBJECT**: **PM-eBus Sewa-Payment Security Mechanism (PSM) scheme for Procurement and Operation of Electric Buses**

**S.O. 4711(E).—1.** Introduction: Government of India has approved the PM-eBus Sewa-Payment Security Mechanism scheme (hereinafter called as 'Scheme') to establish a Payment Security Mechanism Fund (hereinafter called as 'Scheme Fund') for Procurement and Operation of electric buses (e-Bus) under the GoI/State Govt/UT sponsored schemes. This will mitigate the risk of payment delays and enhance the bankability for OEMs/operators who have entered into Concession Agreements (CAs)[1] with Public Transport Authorities (PTAs)[2] .

**2. Objectives:**

i. Provide payment security in case of default by PTAs in making timely payment to the operators as per the CA executed between the PTAs and the OEM/operators

ii. Provide a mechanism for recouping of Scheme Funds from the parent State Governments/UTs in the event of non-repayment by PTAs. This will ensure sustainability of the Scheme Fund.

ii. Provide support in capacity building, training needs and adoption of innovative technologies by PTAs for e-bus operation.

**3. Salient Features of the Scheme:**

**3.1 Coverage:**

The Scheme aims to cover 38,000 e-buses or more.

**3.2 Target Beneficiaries:**

The beneficiaries of the Scheme shall be the PTAs and the OEMs/operators who operate e-buses under the Scheme.

**3.3 Eligibility criteria:**

The eligibility criteria for PTAs, OEMs/operators to participate in the Scheme is explained below:

**3.3.1 Eligibility criteria for PTAs:**

PTAs meeting the following criteria will be eligible to participate in this Scheme:

(a) the PTAs adopt the Gross Cost Contract (GCC) model for procurement of e-buses which is aligned with Scheme guidelines. However, PTAs procuring buses through any other similar model may also be considered subject to approval by the steering committee, and

(b) their parent States/UTs register the Direct Debit Mandate (DDM) with RBI. Under DDM, the States/UTs

1 **CA**s refers to the agreements executed between PTAs and OEM/operators, by whatever name called (such as Agreements, Contract Agreement, etc), for procurement / deployment / operation / maintenance of the electric buses

2 **PTAs** such as State Transport Undertakings (STUs), State Transport Corporations (STCs), Special Purpose Vehicles (SPVs), and any other Govt. agencies operating the bus service in India.

undertake to recoup the Scheme Fund as defined in the Scheme guidelines. The DDM submitted under the Scheme, will be valid for all GoI sponsored schemes for procurement and operation of e-buses, and

(c) PTAs procure and operate e-buses with aggregation by Convergence Energy Services Limited (CESL) under any GoI/State Govt/UT scheme where the CA adheres to the Scheme guidelines, or

(d) In case PTAs are directly procuring e-buses (without CESL), adhering to PSM guidelines, then their request for participation under the Scheme can be considered by the steering committee (SC).

**3.3.2 Eligibility criteria for OEMs/operators:**

Those OEMs/operators who enter into CAs with PTAs satisfying eligibility criteria as mentioned at para 3.3.1 shall be eligible for availing the Scheme Fund.

**3.4 Duration of the Scheme:**

The Scheme shall provide payment security coverage for up to 12 years for each bus deployed under the Scheme.

**4. Scheme Outlay:**

The total financial outlay under the Scheme shall be ₹ 3,435.33 crore.

**5. Implementation Mechanism:**

**5.1 Process to avail Scheme Fund by e-bus OEMs/operators:**

i. PTAs shall open and maintain an Escrow Account as specified in the CA.

ii. The OEM/operators will submit a regular bill/invoice to PTAs in accordance with the timelines specified in the CA.

iii. The PTAs shall process the bill/invoice in accordance with the provisions of the CA.

iv. If insufficient funds in the Escrow Account result in delay/non-payment by PTAs within the prescribed time as per CA, then the event will be called as "Default by PTA".

v. Such defaults by PTAs will be reported to CESL and the OEM/operators may submit a request to CESL (PSM Request) to invoke the Payment Security Mechanism under the Scheme.

vi. CESL shall develop, operate and maintain a technology-based platform for the entire duration of the Scheme, that shall enable the OEMs/operators to submit their request for invoking the Scheme Fund.

**5.2 Process for fund disbursement from the Scheme to e-bus OEM/operators:**

i. Process of fund disbursement along with the quantum and timelines will be detailed under Standard Operating Procedures (SOPs).

ii. CESL shall review, verify and approve the PSM request of OEM/operators.

iii. If CESL finds that the request of the OEM/operators is in accordance with CA, Scheme guidelines and the SOPs, then CESL shall disburse the approved amount from the Scheme Fund to the Escrow Account created under CA.

**5.3 Repayment mechanism to PSM by PTAs/ States/UTs in case of default by PTAs:**

The repayment mechanism by the PTAs/ States/UTs to Scheme Fund is as follows:

**i. Repayment from PTAs to Scheme:**

a. PTAs are required to repay to the Scheme Fund, the entire amount disbursed from the Scheme Fund to the OEM/operators along with Late Payment Surcharge (LPS), within 90 days from the date of its disbursement.

b. During this period, PTAs will be levied an interest in the form of late payment surcharge (LPS), on the amount to be repaid.

c. The LPS would be levied @1% per annum in addition to the SBI's 3 years MCLR prevailing on the date of disbursement, compounded annually.

d. The number of days of delay for which LPS will be applicable will start from the date of disbursement from Scheme Fund to OEM/operators up to the date of payment received from the PTAs/State Govts/UTs.

**ii. Recouping of Scheme Fund by State/UT through Direct Debit Mandate (DDM):**

a. In case the PTAs fails to repay the entire amount disbursed from the Scheme Fund along with Late Payment Surcharge (LPS) within 90 days from the disbursement date, MHI would request RBI to invoke the DDM.

b. RBI would transfer the money to the Scheme Fund by debiting the account of the State Government/UTs, subject to availability of clear and sufficient balance in the account at the time of executing the mandate. Clear balance in the account of State Government means the amount held in such account excluding minimum balance, operating limit under special drawing facility, authorised limit under ways and means advances and overdraft.

c. This will also include the LPS as mentioned at para 5.3, (i), (c).

d. The number of days of delay for which LPS will be applicable will start from the date of disbursement of Scheme Funds to OEMs/operators up to the date of transfer of money to the Scheme Fund by debiting the account of State Governments/UTs.

**6. Steering Committee (SC):**

To ensure effective operation and implementation of the Scheme, a steering committee has been constituted as under:

| S. No. | Designation | Position |
|---|---|---|
| 1. | Additional /Joint Secretary (Auto), MHI | Chairperson |
| 2. | Advisor, NITI Aayog | Member |
| 3. | Additional/Joint Secretary, MoHUA | Member |
| 4. | Additional/Joint Secretary, DoE, Ministry of Finance | Member |
| 5. | Additional/Joint Secretary, Ministry of Road Transport & Highways | Member |
| 6. | Additional/Joint Secretary of the Ministry implementing a scheme for e-buses | Member |
| 7. | Managing Director & CEO, CESL | Convener |

***Note:*** *Committee may co-opt any other member as and when required.*

**7. Implementing Agency – CESL:**

Convergence Energy Services Limited (CESL) will be the implementing agency for the Scheme.

**8. Guidelines to the Scheme:**

For the effective operation and smooth implementation of the Scheme, the detailed guidelines shall be issued separately.

[F. No. 12(49)/2023-AEI(26141)]
Dr. HANIF QURESHI, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.10.28 22:44:13 +05'30'